

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(3)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 24 APR 2017

:: अधिसूचना ::

मोटर चाल अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, राज्य में जिला न्यायाधीश स्तर के 2 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का सृजन व स्थापन करती है, एवं इन्हें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कौलम संख्या 3 के अनुसार एवं क्षेत्राधिकार कौलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है।

क्र. सं.	न्यायालय/अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, करौली	करौली	करौली (हिण्डौन सिटी के एम.ए. सी.टी. क्षेत्राधिकार को छोड़कर)
2	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़

राज्यपाल के आदेश से



(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक.सामान्य/11/09/1992/ 539

दिनांक. 26.04.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर तथा रजिस्ट्रार (वर्गीकरण), CPC जोधपुर को वास्ते उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली तथा प्रतापगढ़।
4. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, करौली एवं प्रतापगढ़।
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली एवं प्रतापगढ़।
6. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय शाखा/रा.न्या.से.(स्थापन)/अधीनस्थ न्यायालय (स्थापन)/सांख्यिकी शाखा/ बजट शाखा/भवन लिपिक एवं अंक मिलान लिपिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।


रजिस्ट्रार (नियम)